भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3196
06.12.2019 को उत्तर के लिए

खनन द्वारा पर्यावरणीय अवक्रमण

3196. श्री ए. नारायण स्वामी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्रदुर्ग में खनन के कारण होने वाले पर्यावरणीय अवक्रमण से निपटने हेतु किए गए नियंत्रणात्मक उपायों की कोई विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या पर्यावरणीय अवक्रमण से निपटने हेतु किए गए उपायों में वनरोपण और जल संरक्षण कार्यक्रम जैसी योजनाएं शामिल थीं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) उक्त नियंत्रणकारी उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से कर्नाटक खनन पर्यावरण पुनरुद्धार निगम (केएमईआरसी) द्वारा खनन कंपनियों से वसूली गई कुल धनराशि कितनी है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिए गए विभिन्न आदेशों के अनुपालन में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आइसीएफआरई), देहरादून और कर्नाटक खनन पर्यावरण पुनर्स्थापना निगम (केएमईआरसी), कर्नाटक ने रिपोर्ट तैयार की हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत कीं।

आईसीएफआरई ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के अध्ययन के संबंध में व्यापक स्तरीय ईआइए रिपोर्ट तैयार की और रजिस्ट्रार, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत कर दी है।

केएमईआरसी ने पर्यावरणीय अवक्रमण का निराकरण करने के लिए उपशामक उपायों के संबंध में विस्तृत संशोधित रिपोर्ट नामत: खनन प्रभाव ज़ोन के लिए समग्र पर्यावरण योजना (सीईपीएमआइज़ेड) तैयार की है और अक्तूबर 2018 के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत कर दी।

(ख) आइसीएफआरई ने कर्नाटक सरकार के लिए वैयक्तिक खानों के संबंध में सुधार और पुनर्स्थापना संबंधी योजनाएं (आर एंड आर योजना) तैयार की। चित्रदुर्ग में 24 खानों में से 21 आर एंड आर योजनाएं माननीय

केंद्रीय शक्ति संपन्न समिति (सीईसी), नई दिल्ली को प्रस्तुत कर दी गई है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित निगरानी समिति द्वारा इन योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी की जा रही है।

केएमईआरसी, कर्नाटक द्वारा उपलब्ध करायी गई रिपोर्ट का ब्यौरा अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) आइसीएफआरई ने आर एंड आर योजनाओं में विस्तृत वनीकरण योजना और जल संरक्षण उपाय उपलब्ध कराए हैं तथा कर्नाटक सरकार और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की सीईसी को प्रस्तुत कर दी है।

केएमईआरसी ने सिंचाई और कृषि क्षेत्रों के अंतर्गत वनीकरण और जल संरक्षण कार्यक्रम योजनाओं को शामिल किया है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वनीकरण कार्यकलापों में क्रमश: पारिस्थितिकीय बहाली, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरुदभव, खान क्षेत्रों की पुनर्बहाली, कृत्रिम पुनरुदभव, स्ट्रिप पौधरोपण, संस्थागत रोपण, फार्म वानिकी और वितरण के लिए बीज शामिल हैं। इस रिपोर्ट में चित्रदुर्ग जिले के लिए पारि-पुनर्स्थापना के अंतर्गत 540.83 करोड़ रुपए, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जलसंभर विकास और अन्य कार्यकलापों के लिए 324.85 करोड़ रुपए तथा लघु कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जल संरक्षण के लिए 154.70 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

(ड.) माननीय उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में खनित लौह अयस्क की ई-नीलामी के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया है । एकत्रित की गई कुल धनराशि का ब्यौरा अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

*****

अनुबंध-I

उपशामक उपायों के संबंध में संक्षिप्त टिप्पण

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 28.09.2012 के आदेश के अनुसार, तीन जिलों नामत: बेल्लारी, चित्रदुर्ग और टुमकुर के क्षेत्रों में हुई पर्यावरणीय क्षति की पूर्ति करने के लिए खनन प्रभाव ज़ोन हेतु समग्र पर्यावरण योजना (सीईपीएमआइज़ेड) को क्रियान्वित करने के क्रम में कर्नाटक सरकार ने दिनांक 21.06.2014 के अपने आदेश में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभ कंपनी के रूप में ''कर्नाटक खनन पर्यावरण पुनर्स्थापना निगम'' की स्थापना की थी।

इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 21.03.2018 के अपने आदेश में केएमईआरसी को निम्नलिखित तैयार करने का निदेश दिया था:

(i) एफआइएमआइ दक्षिणी क्षेत्र और निगरानी समिति द्वारा छूटी मदों के संबंध में सामाजिक-आर्थिक विकास और पारि-पुनर्स्थापना को शामिल करने संबंधी सुझावों पर एक संशोधित व्यापक सर्व-समावेशी प्रस्ताव।

(ii) क्षेत्र के खनन कार्यकलापों और सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करने हेतु आवश्यक सड़क अवसंरचना से संबंधित प्रस्ताव को प्रस्तुत करना; और

(iii) तीनों जिलों के सभी खनिज संपन्न प्रदेशों को जोड़ने के लिए खनन कार्यकलापों में सहायता प्रदान करने के लिए अपेक्षित रेलवे बैकबोन से संबंधित विस्तृत अध्ययन शुरु करना।

उपरोक्त आदेशों के अनुसार, कर्नाटक राज्य- केएमईआरसी ने अक्तूबर 2018 के दौरान सर्व-समावेशी सीईपीएमआईज़ेड पहले ही प्रस्तुत कर दी है। इसके अतिरिक्त, बेल्लारी जिले में दो सबलाइन और तीन साइडिंग के निर्माण के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 7.12.2017 के आदेश के अनुसार तीन डीपीआर तथा प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु अनुरोध से सितंबर, 2019 के दौरान रेलवे बैकबोन के संबंध में अद्यतन अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

सीईपीएमआइज़ेड के तहत शामिल उपशामक उपायों का ब्यौरा

1. पारि-पुनर्स्थापना

इस स्कीम के प्रमुख घटकों में से एक घटक वन पुनर्स्थापना है, जो पारिस्थितिकीय अखंडता की पुनर्प्राप्ति और मानवों के कल्याण को बढ़ाने संबंधी प्रक्रिया है। चूंकि बेल्लारी, चित्रदुर्ग और टुमकुर जिलों को खनन कार्यकलापों के कारण बहुत अधिक पर्यावरण/वन संबंधी हानियां हुई हैं इसलिए मात्र विलुप्त वनों के पुनरुदभव का ही नहीं बल्कि वन्यजीवों के संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास, वनीकरण, जागरुकता सृजन और स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण का भी प्रस्ताव किया जाना चाहिए जिससे वन और पारिस्थितिकी को कायम रखने में सहायता मिलेगी। सीईपीएमआइज़ेड के प्रस्ताव में वायु गुणवत्ता की सतत निगरानी के माध्यम से प्रदूषण को रोकने संबंधी उपाय भी शामिल हैं। प्रस्तावित वनीकरण कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापना
(ii) सहायित प्राकृतिक पुनरुदभव
(iii) खान क्षेत्रों की पुनर्बहाली
(iv) कृत्रिम पुनरुदभव
(v) स्ट्रिप पौधरोपण
(vi) संस्थागत रोपण
(vii) फार्म वानिकी
(viii) वितरण हेतु बीज

तीन जिलों का परिव्यय निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**जिले/प्रमंडल का नाम**	**आबंटन(करोड़ रुपये में)**
1	बेल्लारी	1557.79
2	**चित्रदुर्ग**	540.83
3	टुमकुर	500.52
	कुल-योग	2599.14

पारि-पुनर्स्थापना के तहत चित्रदुर्ग के लिए प्रस्तावित परिव्यय 540.83 करोड़ रुपए है।

(ख) प्रदूषण नियंत्रण

सभी तीन जिलों के लिए प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिव्यय निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**जिले/प्रमंडल का नाम**	**आबंटन (करोड़ रुपये में)**
1	बेल्लारी	26.995
2	**चित्रदुर्ग**	14.805
3	टुमकुर	14.805
	कुल-योग	56.605

इसके अतिरिक्त, **चित्रदुर्ग** जिले में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 14.80 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है।

2. **कृषि व संबद्ध कार्य**

टुमकुर, चित्रदुर्ग और बेल्लारी, तीनों जिलों, जिलों में खनन कार्यकलापों के कारण कृषि क्षेत्र को व्यापक क्षति पहुंची है। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र वृहत चुनौतियों का सामना कर रहा है जैसे कि सिंचाई जल की कमी, सूखा और प्राकृतिक आपदा आदि, जिसके समाधान के लिए सीईपीएमआइज़ेड में ''कृषि'' शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान किया गया है।

इस स्थिति में सुधार लाने के लिए चेक डैम, नल्ला बंद, मृदा अपरदन नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण और समुदाय को जल संरक्षण पद्धतियों की सिफारिश करने आदि सहित एकीकृत रीति से जलसंभर विकास करना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त, किसानों और फार्म मजदूरों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए इस सकीम में बागबानी, पशु-पालन और मत्स्यन आदि जैसे संबद्ध कार्यकलापों को भी शामिल किया गया है।

तीनों जिलों के लिए कृषि तथा बागबानी, रेशम-उत्पादन, पशुपालन और मत्स्यन सहित संबद्ध क्षेत्र के लिए परिव्यय नीचे दिया गया है:

कृषि व संबद्ध कार्य	**बेल्लारी**	**चित्रदुर्ग**	**टुमकुर**	**कुल (करोड़ रुपये)**
कृषि	442.45	324.85	287.10	1054.40
बागबानी	64.73	17.06	14.03	95.82
रेशम-उत्पादन	0.00	3.50	3.00	6.50
पशु पालन	284.76	38.00	22.20	344.96
मत्स्य पालन	89.99	7.63	3.75	101.37
उप- योग	881.93	391.04	330.08	1603.05

ऊपर दिए गए ब्यौरे के अनुसार कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के अंतर्गत **चित्रदुर्ग** जिले के लिए 391.04 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है।

3.(क) **पेयजल एवं स्वच्छता**

ग्रामीण क्षेत्र को 85 एलपीसीडी और शहरी क्षेत्रों को 120 एलपीसीडी के साथ सभी प्रभावित गांवों और कस्बों को शामिल करने के लिए पेयजल कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गई है। सतही जल स्रोतों से पेयजल की आपूर्ति का प्रस्ताव किया गया है क्योंकि परंपरागत भूमि-जल हानिकारक फ्लोराइड और नाइट्रेट से युक्त पाया जाता है। संक्रामक रोगों को रोकने के क्रम इस स्कीम में जल, स्वच्छता और साफ-सफाई पर भी बल दिया गया है तथा प्रस्ताव में ठोस और और द्रव अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों के निर्माण और रखरखाव को भी सीमित किया जाना है।

तीनों जिलों के लिए पेयजल एवं स्वच्छता हेतु परिव्यय नीचे दिया गया है:

पेयजल, स्वच्छता	बेल्लारी	**चित्रदुर्ग**	टुमकुर	**कुल (करोड़ रुपये)**
पेयजल	2569.98	661.00	236.88	3467.86
स्वच्छता	374.00	37.00	13.00	424.00
उप- योग	2943.93	698	249.88	3891.86

चित्रदुर्ग जिले में पेयजल और स्वच्छता के लिए परिव्यय 698.00 करोड़ रुपए है।

(ख) ग्रामीण सड़कें

माननीय उच्चतम न्यायालय ने मात्र खनन कार्यकलापों के लिए ही नहीं बल्कि अल्प और दीर्घ-कालिक लक्ष्यों के साथ खनन प्रभावित प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भी सहायता प्रदान करने हेतु सड़क अवसंरचना संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निदेश दिया है।

परिवहन सुविधाओं को उद्योगों के साथ जोड़ने से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिल सकती है। सड़कें भी कुशल श्रम की गतिशीलता, बाज़ारों की विविधता, और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि में मदद करती है और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाती है।

ऊपर बताए गए जिलों में भारी ट्रकों के व्यापक उपयोग और अतिभार से अभूतपूर्व नुकसान पहुंचा है। इसलिए, आईआरसी मानक के अनुसार, सीमेंट की कंक्रीट की सड़कें बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। सड़के खनन प्रभावित समुदाय के प्रदूषण और सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करने में क्षेत्र की सेवा करेंगी।

तीन जिलों के लिए ग्रामीण सड़क हेतु परिव्यय नीचे दिया गया है:

ग्रामीण सड़कें	बेल्लारी	**चित्रदुर्ग**	टुमकुर	**कुल (करोड़ रुपये)**
ग्रामीण सड़कें	520.72	280.68	236.64	1038.04
उप- योग	520.72	280.68	236.64	1038.04

ग्रामीण सड़क विकास हेतु चित्रदुर्ग जिले के लिए कुल 280.68 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

4. स्वास्थ्य

खनन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले समुदायों की कम आय होती है और उन्हें पर्यावरणीय जोखिमों का सामना करना पड़ता है। सीईएमपीएमआइज़ेड स्वास्थ्य संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और प्राथमिक देखभाल स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को कुशलता और प्रभावपूर्ण रूप से सुधार करता है। योजना, चालू सरकारी स्वास्थ्य संरचना के कार्यकरण में भी सुधार परिकल्पित करती है।

इसलिए, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार, स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियों का समाधान करने हेतु आवश्यक कार्य बल के साथ-साथ योजना पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा जैसे चलती फिरती स्वास्थ्य इकाई, सीएचसी, पीएचसी/आयुष, रक्त बैंक आदि का प्रस्ताव रखती है। जिला स्वास्थ्य अस्पताल, विशेष चिकित्सा केंद्र, स्वास्थ्य कैंप आदि का उन्नयन भी किया जाएगा।

तीनों जिलों के लिए उपरोक्त कार्यकलापों के लिए परिव्यय नीचे दिया गया है:

स्वास्थ्य	बेल्लारी	**चित्रदुर्ग**	टुमकुर	**कुल (करोड़ रुपये)**
जिला अस्पताल	286.17	114.04	131.90	532.11
तालुक/सीएचसी/पीएचसी/आयुष/रक्त बैंक आदि	151.17	141.90	77.77	370.84
विशेष स्वास्थ्य केंद्र संदुर	301.63			301.63
बेल्लारी मेडिकल कॉलेज	711.20	0	0	711.20
उप- योग	1450.17	255.94	209.67	1915.78

स्वास्थ्य घटक के तहत चित्रदुर्ग जिले के लिए प्रस्तावित राशि 255.94 करोड़ रुपए है।

5. शिक्षा

विद्यालयों को छोड़े जाने की दर के कारणों में से एक कारण आधारिक संरचना की कमी होना है। शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले, जिनमें स्कूलों से बाहर हुए अधिकांश बच्चे हैं उनके लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। इस योजना में स्कूलों में आधारिक संरचना नामत: पेयजल सुविधा, खेल का मैदान, रसोईघर का निर्माण और भोजन कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय आदि का प्रस्ताव रखा गया है। यह योजना जहां कहीं भी आधारिक संचरना उपलब्ध करानी हो चाहे नए आदर्श विद्यालय, अतिरिक्त कक्षाएं प्रयोगशाला, कंपाउंड दीवार हो इसके लिए भी प्रस्ताव करती है।

तीन जिलों के लिए उपर्युक्त, आधारिक संरचना और विकासात्मक कार्यकलापों के लिए 1166.35 करोड़ रुपए का परिव्यय

शिक्षा	बेल्लारी	**चित्रदुर्ग**	टुमकुर	**कुल (करोड़ रुपये)**
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा	413.49	280.58	186.62	880.69
पीयू शिक्षा	230.00	50.00	5.66	285.66
उप- योग	643.49	330.58	192.28	1166.35

चित्रदुर्ग जिले के लिए शैक्षिक अवसंरचना हेतु प्रस्तावित राशि 330.58 करोड़ रुपए है।

6. कमजोर वर्गों का विकास करना

कमजोर वर्ग में लोगों में वह वर्ग शामिल है जिन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। कमजोर वर्गों के विकास हेतु सीईपीएमआईजेड में आंगनवाड़ियों में सुधार करने, बाल भवन का उन्नयन करने, महिलाओं और अक्षम व्यक्तियों के लिए स्कीमों जैसे कौशल विकास केंद्रों की स्थापना, एससी/एसटी, ओबीसी और अल्प संख्यकों के लिए स्वच्छ पेयजल, सोलर वाटर हीटरों आदि के लिए सुविधाओं सहित आवासीय स्कूलों का निर्माण करने के लिए योजनाएं हैं।

सभी तीन जिलों के लिए उपरोक्त हेतु 1082.56 करोड़ रूपये का परिव्यय रखा गया है।

संवेदनशील वर्गो का विकास करना	बेल्लारी	**चित्रदुर्ग**	टुमकुर	**कुल (करोड़ रुपये)**
महिलाएं एवं बच्चे	398.87	94.03	110.78	603.68
समाज कल्याण	200.00	50.00	51.94	301.94
पिछड़ा वर्ग	78.03	25.31	25.00	128.34
अल्पसंख्यक विकास	18.70	19.20	10.70	48.60
उप- योग	**695.60**	**188.54**	**198.42**	**1082.56**

चित्रदुर्ग जिले के लिए संवेदनशील वर्गों के विकास हेतु 188.54 करोड़ रूपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

7. आवासन

आवासन, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया से गहन रूप से संबंद्ध है। यह आश्रय प्रदान करती है और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। यह इन स्थितियों को प्रस्तुत करता है जो सामाजिक उद्दश्यों जैसे स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा के लिए अनुकूल है। सीईपीएमआईजेड में भूमि की खरीद, सारी अवसंरचनाओं सहित बेघर लोगों / भूमि विहीन लोगों के परिवारों के लिए मकान का निर्माण करना परिकल्पित है।

बेल्लारी, चित्रदुर्ग और टुमकुर जिलों में आवासन हेतु परिव्यय क्रमश: 1027.00 करोड़ रूपए, 106.88 करोड़ रूपए 60.00 करोड़ रूपए है। इन तीन जिलों के लिए कुल परिव्यय 1193.88 करोड़ रूपए है।

8. कौशल विकास

उचित रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए उन्नत प्रशिक्षण और कौशल विकास महत्वपूर्ण हैं। कौशल विकास के लाभ, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के छात्रों की प्लेसमेंट में देखा जा सकता है। यह सूचित किया गया है कि अधिकांश आईटीआई में लगभग 100 प्रतिशत कैम्पस प्लेसमेंट देखी गई है।

सीपीएमआईजेड, विभिन्न महत्वपूण क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्रवाई करता है कि कौशल विकास, मांग चालित रीति से किया जाए। विशेष रूप से खनन उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लाभप्रद रोजगार के लिए प्रशिक्षण और रोजगार हेतु इन्फ्रा स्ट्रक्चर सुविधा सृजित की जाए।

बेल्लारी, चित्रदुर्ग और टुमकुर जिलों के लिए कौशल विकास हेतु परिव्यय क्रमश: 436.19 करोड़ रूपए, 70.79 करोड़ रूपए और 31.27 करोड़ रूपए है, इन तीन जिलों के लिए कुल धनराशि 538.25 करोड़ रूपए है।

9. पर्यटन

पर्यटन विभिन्न आर्थिक मान और लाभ प्रस्तुत करके एक क्षेत्र की संपूर्ण प्रगति और विकास में योगदान देता है और इस प्रकास से उद्योग एक महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि में सहायक और रोजगार सृजन करने का महत्वपूर्ण स्रोत है, सीईपीएमआईजेड के तहत शामिल किए गए जिलों, विशेषकर उत्तरी कर्नाटक में स्मारक स्थित हैं, जो पांचवी शताब्दी के हैं।

अत: इस स्कीम में क्षेत्रों में आर्थिक विकास के लिए पर्यटन अवसंरचना का विकास परिकल्पित है। बेल्लारी, चित्रदुर्ग और टुमकुर जिलों में पर्यटन विकास हेतु परिव्यय, क्रमश: 148.00 करोड़ रूपए, 34.00 करोड़ रुपए और 7.00 करोड़ रूपए है; इन तीन जिलों के लिए कुल परिव्यय 189 करोड़ रूपए है।

10 सिंचाई

कर्नाटक पानी की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। वर्ष 2012 के संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार भारत, विश्व के भूमिगत जल का विशाल उपभोक्ता भी है। उत्तरी कर्नाटक में विशेषरूप से महिलाएं और बच्चे अपना अधिकांश समय पानी भरने में खर्च करते हैं। सिंचाई के टैंक, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक वर्षा जल संचयन संरचनाएं है, उपलब्ध जल का संवर्धन करने और तेजी से खत्म हो रहे भूमि गत जल का पुनर्भरण करने में खर्च करते हैं। सिंचाई के टैंक, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक वर्षा जल संचयन संरचनाएं है, उपलब्ध जल का संवर्धन करने और तेजी से खत्म हो रहे भूमिगत जल का पुनर्भरण करने में भी दीर्घगामी सिद्ध होंगी। अत: सिंचाई के टैंक का कायाकल्प करने, भूमि गत जल के संवर्धन हेतु चेक डैम निर्माण, लिफ्ट सिंचाई स्कीमें आदि का प्रस्ताव रखा गया है।

बेल्लारी, चित्रदुर्ग और टुमकुर जिलों में सिंचाई विकास के लिए परिव्यय क्रमश: 799.00 करोड़ रूपए, 154.70 करोड़ रूपए और 53 करोड़ रूपए हैं, तीन जिलों के लिए कुल परिव्यय 1006.70 करोड़ रूपये है।

चित्रदुर्ग के लिए प्रस्तावित धनराशि 154.70 करोड़ रूपए सिंचाई और अन्य कार्यकलापों के विकास के लिए है।

11. वास्तविक अवसंरचना

वास्तविक अवसंरचना के शीर्ष के तहत बस स्टेशनों का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया है। परिवहन क्षेत्रों के बीच व्यापार के सुगम बनाता है, जो आर्थिक कार्यकलाप के विकास हेतु अनिवार्य है। बस स्टेशन का उन्नयन करने का प्रस्ताव रखा गया है। स्वच्छतर स्थितियों का रखरखाव करने के लिए टॉयलेट ब्लॉकों का निर्माण करने का प्रस्ताव भी किया गया है।

स्कीम के तहत सामान के आवागमन पर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस स्टेशनों और चेक पोस्ट को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव भी किया गया है।

बेल्लारी, चित्रदुर्ग और टुमकुर जिलों मे वास्तविक अवसंरचना के लिए परिव्यय क्रमश: 734.99 करोड़ रूपए, 105.29 करोड़ रूपए और 44.08 करोड़ रूपए है। तीन जिलों के लिए कुल परिव्यय 884.36 करोड़ रूपए है।

चित्रदुर्ग के लिए प्रस्तावित धनराशि 105.29 करोड़ रूपए भौतिक अवसंरचना के लिए है।

12. सड़कें और संचार

एक सक्षम परिवहन प्रणाली को उत्पादन का आर्थिक घटक समझा जाता है। वह आबादी, जो गांवों में रहती है, क्षेत्र की स्थलाकृति, जिसमें पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र, दूर तक फैली हुई कृषि योग्य भूमि है और पूरे क्षेत्र में उत्पादक संसाधन फैले हुए है, ऐसे में सड़कें सुगम और सक्षम परिवहन प्रदान करती हैं। अत: सड़कों का पुनर्निर्माण, पुलों आदि का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया है।

बेल्लारी, चित्रदुर्ग और टुमकुर जिलों में सड़कों और संचार कार्यों हेतु परिव्यय क्रमश: 1512.55 करोड़ रूपए, 620.22 करोड़ रूपए और 426.40 करोड़ रूपए हैं। तीन जिलों के लिए कुल परिव्यय 2559.17 करोड़ रूपए हैं।

चित्रदुर्ग के लिए सड़कों और संचार कार्यों के विकास हेतु 620.22 करोड़ रूपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

13.(क) रेलवे अवसंरचना

अक्तूबर, 2018 के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय को बेल्लारी, चित्रदुर्ग और टुमकुर के खनिज बहुल क्षेत्रों में खनन कार्यकलापों को समर्थन देने के लिए रेलवे की व्यवहार्यता पर अध्ययन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त रेलवे अवसंरचना के लिए वित्तीय परिव्यय निम्नलिखत है :

(रुपए करोड़ में)

1	बेल्लारी जिले में 2 सब-लाइन और तीन साइडिंग भूमि अभिग्रहण लागत (लगभग)	89.00	330.00
2	बेल्लारी जिले में अतिरिक्त साइडिंग (5) भूमि अभिग्रहण लागत (लगभग)	101.00	982.62
3	टुमकुर-चित्रदुर्ग में सब-लाइल और साइडिंग (3) भूमि अभिग्रहण लागत (लगभग)	50.00	1130.00
	सब-लाइन और साइडिंग के लिए भूमि लागत	240.00	240.00
4	नया टुमकुर-दावनगेरे मेन-लाइन		1826.34
5	बीजी लाइन के लिए भूमि अभिग्रहण लागत		763.00
	कुल लागत		**5271.96**

उपरोक्त के अतिरिक्त, सितंबर 2019 के दौरान माननीय न्यायालय को तीनों जिलों के संबंध में रेलवे बैकबोन (आरबीबी) के संबंध में अद्यतित रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है।

(ख) बेल्लारी की प्रस्तावित रेलवे सब-लाईन और साइडिंग

सीईसी ने माननीय उच्चतम न्यायालय को दिनांक 25.10.2017 को रेलवे साइडिंग और रेलवे सब-लाइन संबंधी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट पर विचार किया था और दिनांक 21.03.2018 की अपनी रिपोर्ट में कर्नाटक खनन पर्यावरण पुनर्स्थापना निगम को रेलवे साइडिंग और रेलवे सब लाइन के उपर्युक्त कार्य के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ-साथ बजटीय और वित्तीय आवश्यकताओं का ब्यौरा न्यायालय को प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

धर्मापुरा, धानापुरा और सुशीलनगर में तीन-रेलवे साइडिंग तथा धर्मापुरा और सुशील नगर में दो रेलवे सबलाइनों संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर), अक्तूबर 2018 के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत कर दी गई हैं।

(ग) कन्वेयर बेल्ट सिस्टम का निर्माण

छः पट्टेदारों द्वारा निर्माण किए जाने वाली कन्वेयर बेल्ट सिस्टम के संबंध में माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था कि:

i. छः पट्टेदार मार्ग अधिकार/वन स्वीकृति (एफसी) अनुमोदन के लिए एक माह के अंदर राज्य सरकार से संपर्क करेंगे।
ii. राज्य/केंद्रीय सरकार, किसी भी मामले में आवेदन प्राप्ति की तारीख से दो महीनों के अंदर-अंदर त्वरित ढंग से अंतिम निर्णय लेगी।
iii. पट्टेदारों के लिए मार्ग अधिकार (आरओडब्ल्यू) और/अथवा वन स्वीकृति प्राप्त करने के बाद 18 महीनों की अवधि के अंदर-अंदर कन्वेयर बेल्ट सिस्टम के निर्माण को पूर्ण करना अपेक्षित होगा।
iv. पट्टा-धारकों द्वारा एसपीवी को किए जा रहे योगदान को रोकने हेतु एफआइएमआइ के अनुरोध से संबंधित मामले के पहलू पर सीइसी द्वारा उपरोक्त के संबंध में अपना प्रत्युत्तर दर्ज करने के तुरंत बाद विचार किया जाएगा।

बेल्लारी जिले में छः खनन पट्टेदारों ने कन्वेयर बेल्ट सिस्टम के निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई कर ली है तथा वन विभाग, भारत सरकार से सैद्धांतिक अनुमोदन पहले ही प्राप्त कर लिया है।

आरबीबी संबंधी अद्यतित रिपोर्ट में टुमकुर और दावनगेरे के बीच प्रस्तावित नई रेलवे लाइन जोड़ने के लिए जयासुवर्णपारा में लगभग 9 खानों और तक्कीहल्ली में 6 खानों से संबंधित कार्य करने के लिए चित्रदुर्ग जिले के जयासुवर्णपारा और लक्कीहल्ली में दो रेलवे साइडिंग और सबलाइन की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है।

ऊपर दिए ब्यौरे के अनुसार राजय सरकार और केएमईआरसी ने उपरोक्त जिलों में खनन कार्यकलापों द्वारा पर्यावरण को पहुंची क्षति की पूर्ति और पुनर्स्थापन संबंधी प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।

14. खनन कंपनियों से एकत्रित की गई कुल धनराशि

माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार, कर्नाटक में खनित लौह की ई-नीलामी के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित निगरानी समिति ने एसपीवी द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए खनन संबंधी नीलामियों से 9042 करोड़ रुपए की धनराशि का संग्रहण किया है। खनन अवसंरचना और खनन प्रभावित जोन पुनर्स्थापना के लिए दिनांक 30.09.2019 की स्थिति के अनुसार, 5142 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ कुल उपलब्ध धनराशि 14,184 करोड़ रुपए है।

उपरोक्त प्रस्तुतीकरण पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 24.01.2019 को मामले पर सुनवाई की और श्री श्याम दिवान, विद्वान अमिकस क्यूरि को यह जांच करने का निदेश दिया कि ''क्या सीईपीएमआईजेड के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को अंतिम रूप देने के मामले में आगे के कदम उठाना न्यायालय के लिए वांछनीय और व्यवहारिक होगा या श्री जिवराजका, पूर्व सदस्य सचिव, सीईसी द्वारा सुझाए अनुसार न्यायालय द्वारा व्यापक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद और खनन अवसंरचना से संबंधित सभी मामलों के अवधारण के बाद मामले के सभी पहलू को उपयुक्त राज्य अभिकरण को सौंप दिया जाना चाहिए''।

दिनांक 13.11.2019 को इस मामले को भारत के मुख्य न्यायधीश के समझ लाया गया था और दिनांक 26.11.2019 को इस मामले को उपयुक्त पीठ के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व सूचीबद्ध करने का निदेश दिया गया था। तथापि, इसे सूचीबद्ध नहीं किया गया था। केएमईआरसी माननीय उच्चतम न्यायालय से शीघ्र अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रयास कर रहा है।

कर्नाटक सरकार

केएमईआरसी सीईपीएमआइज़ेड सार (रुपए करोड़ में)					
क्र.सं.	**सेक्टर/जिला**	**बेल्लारी**	**चित्रदुर्ग**	**टुमकुर**	**कुल**
1	**पारि-पुनर्स्थापना**				
क	वानिकी	1557.79	540.83	500.52	2599.14
ख	प्रदूषण नियंत्रण	27.00	14.81	14.81	56.61
	उप-योग	1584.79	555.64	515.33	2655.75
2	**कृषि व संबद्ध कार्य**				
क	कृषि	442.45	324.85	287.10	1054.40
ख	बागबानी	64.73	17.06	14.03	95.82
ग	रेशम उत्पादन	0.00	3.50	3.00	6.50
घ	पशु पालन	284.76	38.00	22.20	344.96
ड.	मत्स्य उद्योग	89.99	7.63	3.75	101.37
	उप-योग	881.93	391.04	330.08	1603.05
3	**पेयजल स्वच्छता व ग्रामीण सड़कें**				
क	पेयजल	2569.98	661.00	236.88	3467.86
ख	स्वच्छता	374.00	37.00	13.00	424.00
ग	ग्रामीण सड़कें	520.72	280.68	236.64	1038.04
	उप-योग	3464.70	978.68	486.52	4929.90
4	**स्वास्थ्य**				
क	जिला अस्पताल	286.17	114.04	131.90	532.11
ख	तालुक/सीएचसी/पीएचसी/आयुष/रक्त बैंक आदि	151.17	141.90	77.77	370.84
ग	विशेष चिकित्सा केंद्र संदुर	301.63			301.63
घ	बेल्लारी मेडिकल कॉलेज	711.20	0	0	711.20
	उप-योग	1450.17	255.94	209.67	1915.78
5	**शिक्षा**				
क	प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा	413.49	280.58	186.62	880.69
ख	पीयू शिक्षा	230.00	50.00	5.66	285.66
	उप-योग	643.49	330.58	192.28	1166.35
6	**कमजोर वर्गों का विकास**				
क	महिलाएं एवं बच्चे	398.87	94.03	110.78	603.68
ख	समाज कल्याण	200.00	50.00	51.94	301.94
ग	पिछड़ा वर्ग	78.03	25.31	25.00	128.34
घ	अल्पसंख्यक विकास	18.70	19.20	10.70	48.60
	उप-योग	695.60	188.54	198.42	1082.56
7	**आवासन**	1027.00	106.88	60.00	1193.88
8	**कौशल विकास**	436.19	70.79	31.27	538.25
9	पर्यटन	148.00	34.00	7.00	189.00
10	सिंचाई	799.00	154.70	53.00	1006.70
11	वास्तविक अवसरंचना	734.99	105.29	44.08	884.36
12	सड़कें एवं संचार	1512.55	620.22	426.40	2559.17
13	रेलवे अवसरंचना				5271.96
	कुल योग	**13378.41**	**3792.30**	**2554.05**	**24996.71**

*****